

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

म जास ५५

10/3/24

पत्रा. घेरा डुरी / पत्रावली ३५०१
कार. घेरी के पत्रावली ३५०१ मय मीना
कई पत्रा की कार. कि. हो पत्रा.
वासी बरकत दिनांक 28/4/24 को
पत्रा हो

(रविप्रकाश RAS)
उपसमूह-अभिमानि पद पदेन
सहायक कलेक्टर, जेतासण (ध्यावर)

28/3/25

उ.प.प. बाह्य दार मय दिना.
हस्ता द्वारा कोट बाह्य स्थान रखने से पत्रावली आयन्का।
दिनांक 20.3.25 को पत्रा हो।

6/5/25 पत्रावली केर डुरी मीना मय उध
बरकत मय पत्रा डुरी मय पत्रावली मय उध
कोट दिनांक 5/1/25 को पत्रा हो

(रविप्रकाश RAS)
उपसमूह-अभिमानि पद पदेन
सहायक कलेक्टर, जेतासण (ध्यावर)

05/06/25

पत्रावली पत्रा डुरी
पत्रावली का अबलोकन ७ था गया।
पत्रावली मय उधोवे मय, तहसीलदार जेतासण अवावडाण एवं
साहय बापडा का गहनता से अध्ययन ७ था। बहस पर
मनन करेते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन
किया गया। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाड
वाडी अकृति धारा 88 शर्मा कानून अधिनियम 1955 बखूबी
साबित होमे एवं साखान होने से स्वीकार। उधो विद्या
जाता हो विरुद्ध निर्णय एवं उधो पत्रा पत्रा मय लिखा
जाकर शां मि ७ था गया। पत्रावली कुंमल कुमार
होकर नम्बर से उम हो वाड तहसील जासा साबिल
स्तर लिखा। अन्त अमा हो।

(रविप्रकाश RAS)
उपसमूह-अभिमानि पद पदेन
सहायक कलेक्टर, जेतासण (ध्यावर)